

सूचना

आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2015 के टंकण परीक्षा का माध्यम को बदलने के लिए उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त कर रही है। इस संवन्ध में उम्मीदवारों की ध्यान इस बात पर आकर्षित किया जा रहा है कि दिनांक 13.06.2015 को एम्प्लॉइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2015 की सूचना के अनुलग्नक II ए में आवेदन भरने संबंधी अनुदेशों के बिन्दु संख्या V के तहत यह कहा गया है कि “आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा”।

2. परीक्षा की सूचना में दिये गए उपरोक्त निर्देश को ध्यान में रखते हुए किसी भी उम्मीदवार के द्वारा टंकण परीक्षा के माध्यम को बदलने का अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे इस प्रकार का अनुरोध न करें।

क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.)

NOTICE

The Commission is receiving representations from the candidates of Combined Higher Secondary Level Examination, 2015 with the request for allowing them to change the medium of Typewriting Test. It is brought to the notice of the candidates that it has been mentioned under point no. V of the “INSTRUCTIONS FOR FILLING UP THE APPLICATION” in Annexure – II A of the Notice of CHSL Examination, 2015 published in the Employment News/Rozgar Samachar dated 13.06.2015 that “Request for change/correction in any particulars in the Application Form, once submitted, will not be entertained under any circumstances”.

2. In view of the above mentioned instruction laid down in the Notice of the Examination, the request for change of medium made by any candidate will not be acceded to. Candidates are advised not to make any request to the Commission in this regard.

Regional Director (ER)